



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.02.2023

डकैती करने वाले आरोपी दिलशाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 08 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्त दिलशाद पुत्र रमजानी निवासी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वर्ष-2008 में डकैती करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 962/2008 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.02.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दिलशाद को दोषी पाते हुए धारा 395/397 भादवि में 08 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- दिलशाद पुत्र रमजानी निवासी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-रामदास पुत्र राजे निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-शमशेर पुत्र इस्लाम निवासी मो0 ईदगाह करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 मन्जीत कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/2022 धारा 279/338/304ए भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/23 धारा 279/338/304ए भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।



उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मराज यादव पुत्र मूलचन्द निवासी गांव बहराम का बास पोस्ट रामपुर थाना बानसुर जनपद अलवर राजस्थान ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 81 हरिओम थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 166/2023 धारा 452/323/504/308 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.इलियास पुत्र सरफुद्दीन व 2.शाहरुख निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के पति दिलशाद के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की जिससे वादिया का पति दिलशाद गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 166/2023 धारा 452/323/504/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 166/2023 धारा 452/323/504/308 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इलियास पुत्र सरफुद्दीन निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, कोतवाली बागपत, बागपत ।
- 2- का0 179 सचिन कुमार कोतवाली बागपत, बागपत।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 21.02.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 41/23 धारा 323/308/504/506
भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.23 को थाना छपरौली पर वादी श्री शुभम पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली ने सूचना दी कि उसके गांव के रहने वाले अभियुक्तगण 1.सुमित उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम, 2.अभिषेक पुत्र मनोज व 01 अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ गाली-गलौच करते



हुए लाठी-डंडों से मारपीट की जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 41/23 धारा 323/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 41/23 धारा 323/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ.नि. श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली बागपत ।

2- है.का. 353 नरेश कुमार थाना छपरौली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 21.02.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 37/23 धारा 304/504 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2023 को थाना छपरौली पर वादी श्री सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.कल्लू पुत्र कुंवरपाल, 2.कुंवरपाल पुत्र बेदू, 3.मोहित व 4.सूरज पुत्र कुंवरपाल निवासीगण ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ने उसके चचेरे भाई इन्द्रपाल पुत्र बाल्लूराम के साथ गली से भेंसा-बुग्गी निकालने को लेकर गाली-गलौच की । उसके चचेरे भाई द्वारा गाली-गलौच देने से मना किया तो अभियुक्तों द्वारा फावड़े से उसके चचेरे भाई इन्द्रपाल के सिर पर वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 37/23 धारा 304/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 37/23 धारा 304/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 13-02-2023 को 03 अभियुक्तों 1.कल्लू, 2.कुंवरपाल व 3.सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना छपरौली बागपत।
- 2- का0 434 मनीत थाना छपरौली बागपत।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 21.02.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 40/2023 धारा 302/120बी भादवि में वांछित नामजद एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2023 को थाना दोघट पर वादी श्री आयुष पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट ने लिखित तहरीर दी कि जंगल वहद ग्राम बामनौली में दिनांक 09.02.2023 की रात्रि में उसकी ट्यूबवैल के पास रामगोपाल, कृष्णगोपाल उर्फ बबलू पुत्र स्व0 राजवीर सिंह निवासी ग्राम



बामनौली थाना दोघट व 02 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पिताजी रामवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 40/2023 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 40/2023 धारा 302/120बी भादवि में वांछित नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामगोपाल पुत्र स्व० राजवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री भूरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2.व०उ०नि० श्री नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3.उ०नि० श्री नकुल राठी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4.है०का० 112 तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।